बातचीत के बिंदु-29

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

आशायों की उमीद जिंदा रखने के लिए और उषास के लिए नए सवेरे के लिए

आज आशा कर्मी अपनी और वो जिन गरीवों की सेवा करती हैं की उमीद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रही है। और उषा अपनी जिदंगी और शहरी गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए नए सवेरे के लिए संधर्षरत है।

मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और शहरी सामाजिक स्वास्थ कार्यकर्ता (उषा) दोंनो ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है जो हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य सूचकों को सुधारने के उदेश्य से काम कर रहे है।

हमारे देश के स्वास्थ्य सूचियां दुनिया में सवसे नीचे है। जिसको वीजेपी की सरकार सवसे तेज रप्तार से वढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वढ़ाने में कभी भी थकती नही। हमारे देश स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के मामलों में 195 देशों मे 154 स्थान पर है। डब्लयू एच ओ के 2016 के स्टेटिकरन के आधार पर भारत में जिन्दा रहने की प्रत्याशा विश्व के स्तर से कम है मातृक म मृत्यु संख्या सबसे ऊॅचे स्तर पर है' 1 लाख में से 174 महिलाएं, जो जिन्दा बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते समय ही मर जाती है। दुनिया के मात्रिक मृत्यु का 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत बच्चों की मौत हमारे देश में है। एक लाख की जनसंख्या में 1.67 तपेदिक से मर जाते हैं, जहॉ यह कहने की जरुरत नहीं है कि अगर समय पर उनका उपचार होता तो वो जीवित रहते। यह बीमारी ज्यादातर गरीबों को होती है। डब्लयू एच ओ की साल 1978 की अलमा अटी की घोषणापत्र की सत्र 2000 तक सबको स्वास्थ्य '' पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बनाई थी। केन्द्र में एक बाद एक सरकारों ने इसके लिए बहुत कम धन आवंटन किया जिसके चलते जो परिणाम चाहिए ये वो पूरे ना हो सके। नवउदारवादी नीतियों के तहत 2002 में बीजेपी सरकार ने एक और राष्ट्रीय स्वास्थ योजना बनाइे जिसमे नीजि क्षेत्र में इसमें शामिल किया। एक तरफ शोसक वर्ग की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था वनने की महत्याकांक्षा और दूसरी और हमारे लोगों की स्वास्थ की खास्ता हालत के चलते कान्फारेंस की अगुयाई वाली यूपिए सरकार ने 2005–12 में राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन आरम्भ किया। 2013 में ईसको राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन में

प्रर्वतित किया जिसमें दो उप–मिशन एनआरएचएम और एनयूएचएम (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कथित काम लोगों को खास तोर पर गरीब महिलायो और बच्चों को उचित और गुणवत्ता की प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करना है। इस सव के वाबजूद वजट मे स्वास्थ्य के लिए धन का आवन्टन की स्थिती शोचनीय है। सरकार का स्वास्थ्य पर खर्चा प्रतिव्यक्ति और सकल घरेलू उत्पाद के तौर पर दक्षिण एशिया के देशो जैसे कि श्रीलंका, भुटान, और मालद्वीप से भी कम है।

आशा और उषा जो लोगों और सरकारी स्वास्थ सेवायों के वीच एक निर्णायक भूमिका निभाते है जिस तरह उन्हे दीनहीन परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश किया जाता है उससे नवउदारवाद के अजेंडे की छाप साफ दिखाई देती है। स्वास्थ्य लोगों का जरुरी अधिकार है। अपने नागरिकों को स्वास्थ सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। यह किसी मिशन के माध्यम से नही जिसको कभी भी वापिस लिया जा सकता हो वल्की एक स्थाई सेवाके साथ।

कुछ सीमायों के वावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अस्तित्य की कम अवधि में ही स्वास्थ्य सूचियों मे सुधार हुया है।

- संस्थागत प्रसूति 2004 मे 23 प्रतिशत को बड़ाकर 2016 मे 73 प्रतिशत हो गई।
- मातृत्य मृत्यु संखा 2004 मे एक लाख पर 217 थी जो 2016 मे धटकर 167 हो गई।
- बच्चों की मृत्यु संख्या 2004 में 1000 पर 90 थी जो 2016 मे घट कर 37 रह गई ।
- 2004 में नियमित टीकाकरण की 38 प्रतिशत थी, 2016 में बढ़कर 78 प्रतिशत हो गई।

यह 9.5 लाख उषा और आशा के कड़े परिश्रम से पाया। यह उनके कम वेतन मात्र,कई बार असमाजिक तत्व के हमले सहने और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बावजूद उनकी दिन व रात को अनथक परिश्रम से ही पाया।

इस सबके बावजूद वर्तमान बीजेपी की सरकार बजट में स्वास्थ की कटौती कर रही है। सरकारी और नीजि क्षेत्र की भागीदारी के नाम पर बीजेपी सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई जिससे स्वास्थय क्षेत्र में नीजि क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन जो 2017–18 में 2.4 प्रतिशत था उसे 2018–19 में घटाकर 2.1 प्रतिशत कर दिया। अब यह नीचे गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत रह गया है जो विश्व में सबसे कम है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट से आवंटन भी कर दिया है। इसके कारण उषा और आशा की बहुत कम उत्साहन राशि भी समय पर नहीं मिलती, इनको महीनों तक लम्बित रखा जाता

है। केन्द्र सरकार का हिस्सा कम किया गया और राज्य सरकारों का बढ़ा दिया गया। एन जी ओ से काम करनवाने की कोशिशें भी हो रही है। बहुत से राज्यों में पब्लिक हेल्थ सेन्टर को निजी क्षेत्र के हाथों में सौप दिया गया है।

कल्याणकारी योजनाओं को खर्चा कम करना नवउदारवादी नीतियों का अभिन्न अंग है। नवउदारवादी नीतियों पर चलने वाली सरकारें कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में कटौती पर बचनबद्ध है और दूसरी ओर बड़े कारपोरेट के बहुत बड़े लाभ पहुँच रही है। पिछले एक दशक में केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकारों ने देशी और विदेशी पूंजीपतियों को हर साल 5 लाख करोड़ की करों में छूट दी है। वो उनके इसी मात्रा के बैंकों के कर्जे भी माफ करने जा रही है। इन पूंजीपतियों से उनके देय कर को वसूल करने के लिए कारगार कदम नहीं उठाए जा रहें। इन कारपोरेट को रियायतों छांट और लाभ के तौर लगभग 21 लाख करोड़ दे दिए है। लेकिन बीजेपी,कॉंग्रेस की सरकारे व गैर वामपंथी राज्य सरकारे जो नवउदारवादी नीतियों को लागू करने लिए बचनबद्ध है वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्चा करने को तैयार नही।

नवउदारवादी नीतियों की यह मूलभूत विशेषता जिसके कारण यह सरकारें आशा और उषा से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर पाती कम खर्चे पर या सम्भव हो तो बिना खर्चे पर काम करवाना चाहती है।

कामगार जो आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स के रुप में काम कर रही है, मिड–डे–मील वर्कर्स इत्यादि की तरह उषा और आशा कर्मियों को मजदूरों की मान्यता नहीं दी उन्हें केवल कार्यकर्ता ही कहा जाता है। उन्हें वेतनमान नहीं दिया जाता केवल बहुत कम प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जाता है। अगर सरकार के पैसा नही है तो बड़े पूंजीपतियों पर लाखों करोड़ रूपए कहा से खर्च किए जाते है?

बहुत से राज्यों में उषा और आशाओं ने अपने एकताबद्ध और संगठित संघर्ष से अपनी शर्तों को बढ़ाया है। राष्ट्रीय और राज्यों के पटल पर इन संघर्षों को सीटू ने नेतृत्व प्रदान किया है।

45 वें सम्मेलन की सर्वसस्त सिफारिशों जिनको 46 वें श्रम में दोहराया कि इनको मजदूर का दर्जा दिया जाए और इसके साथ ही मुख्य और मूलभूत मांगें, जिसके अनुसार उन्हें कर्मचारी माना जाएं, न्यूनतम वेतन,और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान की जाएं,को सरकार लागू करने को तैयार नहीं है। यह आशा और उषा की बहुत लम्बित मांगे है।

आशा और उषा की मांगों को हासिल करने की महत्वपूर्ण शर्त है कि नवउदारवादी नीतियों को पलटा जाए। आशा और उषा को एकताबद्ध करने के साथ इस योजना के लाभार्थियों जिसमें असंगठित क्षेत्र के गरीब महिलायो और पुरुषों, किसानों और खेतीहर मजदूरों को भी लामबंद करना होगा।

5 सितम्बर की मजदूर किसान रैली नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जिसके कारण आशा और उषा को उनके मूलभूत हको से वंचित रखा जा रहा है। उनके मजदूर के तौर पर मान्यता प्राप्त करने, न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की लड़ाई है। नवउदारवादी नीतियों जो लोगों को उनके स्वास्थ्य के मूलभूत अधिकार से वंचित रखने के खिलाफ संघर्ष है।

एकताबद्ध संघर्ष करो

- 0.1 प्रतिशत के काम करने वाली सरकार के खिलाफ
- 99.9 प्रतिशत के लाभ के नीतियों बनाने के लिए